II. वैयक्तिक वेतन

हिन्दी, हिन्दी टाईपिंग और हिन्दी आशुलिपि की परीक्षाएं

83. गृ० मं० सं० 12014/2/76-रा० भा० (डी), दिनांक 2-9-76

विषय :—हिन्दी, हिन्दी टाईपिंग और हिन्दी आशुलिपि की परीक्षाएं पास करने पर प्रोत्साहन—वैयक्तिक वेतन संबंधी आदेशों का समेकित किया जाना।

उपर्युक्त विषय पर, अब तक जारी किए गए आदेशों का अधिक्रमण करते हुए मुझे निम्नलिखित शर्तों पर हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत ली जाने वाली हिन्दी, हिन्दी टाईपिंग और हिन्दी आशुलिपि की परीक्षाओं को पास करने पर, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को 12 महीने की अवधि के लिए एक वेतनवृद्धि के बराबर राशि का वैयक्तिक वेतन देने के लिए राष्ट्रपति द्वारा दी गई मंजूरी की सूचना देने का निदेश हुआ है :—

(1) प्राज्ञ परीक्षा—वैयक्तिक वेतन केवल उन्हीं सरकारी कर्मचारियों को दिया जाएगा, जिनके लिए, प्राज्ञ पाठ्यक्रम अंतिम पाठ्यक्रम के रूप में निर्धारित किया गया है :

(क) अराजपत्रित कर्मचारियों को, प्राज्ञ परीक्षा में पास अंक प्राप्त करने पर;

(ख) राजपत्रित कर्मचारियों को, 60 प्रतिशत या अधिक अंक लेकर प्राज्ञ परीक्षा पास करने पर।

लेकिन जिस कर्मचारी ने मैट्रिक या उसके बराबर या उससे उच्च परीक्षा, किसी बोर्ड, विश्वविद्यालय या प्राइवेट संस्था से हिन्दी एक ऐच्छिक, नियमित, अतिरिक्त या वैकल्पिक विषय के रूप में, या माध्यम के रूप में लेकर, पास की हो, अथवा जिस कर्मचारी की मातृभाषा हिन्दी है तथा जो हिन्दी में अपने विचारों को ठीक प्रकार से अभिव्यक्त कर सकता है, अथवा जिसे हिन्दी के सेवाकालीन प्रशिक्षण से छूट मिली हुई है; उसे प्राज्ञ परीक्षा पास करने पर वैयक्तिक वेतन पाने का अधिकारी नहीं समझा जाएगा।

(2) प्रवीण परीक्षा--वैयक्तिक वेतन केवल उन्हीं सरकारी कर्मचारियों को दिया जाएगा, जिनके लिए प्रवीण पाठ्यक्रम अंतिम पाठ्यक्रम के रूप में निर्धारित किया गया है :

(क) अराजपत्रित कर्मचारियों को 55 प्रतिशत या अधिक अंक लेकर प्रवीण परीक्षा पास करने पर;

(ख) राजपत्रित कर्मचारियों को, 60 प्रतिशत या अधिक अंक लेकर प्रवीण परीक्षा पास करने पर।

लेकिन जिस कर्मचारी ने, किसी बोर्ड, या गैर-सरकारी संस्था द्वारा ली गई मिडिल (कक्षा-8) या उसके समकक्ष या उससे उच्चतर परीक्षा, किसी भी रूप में हिन्दी विषय के साथ या हिन्दी माध्यम से पास की हो, या जिसकी मातृभाषा हिन्दी है, या जो ऐसे पद पर काम कर रहा है, जिस पर भर्ती, नियुक्ति के लिए प्रवीण (मिडिल) स्तर तक का ज्ञान आवश्यक योग्यता के रूप में निर्धारित हो, अथवा जिसे हिन्दी के सेवाकालीन प्रशिक्षण से छूट मिली हुई है, उसे प्रवीण परीक्षा पास करने पर वैयक्तिक वेतन पाने का अधिकारी नहीं समझा जाएगा।

(3) प्रबोध परीक्षा--वैयक्तिक वेतन केवल उन्हीं अराजपत्रित सरकारी कर्मचारियों को दिया जाएगा, जिनके लिए प्रबोध पाठ्यक्रम अंतिम पाठ्यक्रम के रूप में निर्धारित किया गया है, और जो इस परीक्षा को 55 प्रतिशत या इससे अधिक अंक लेकर पास करते हैं।

लेकिन जिस कर्मचारी ने, किसी स्कूल प्राधिकारी/सरकारी अधिकरण, बोर्ड, या गैर-सरकारी संस्था की प्राइमरी (कक्षा-5) परीक्षा या उसके समकक्ष या उससे उच्च परीक्षा किसी भी रूप में हिन्दी विषय के साथ, या हिन्दी माध्यम से पास की हो, या जिसकी मातृभाषा हिन्दी हो, या जो ऐसे पद पर काम कर रहा हो, जिस पर भर्ती या नियुक्ति के लिए हिन्दी का प्रबोध (प्राइमरी) स्तर तक का ज्ञान अनिवार्य शर्त के रूप में निर्धारित हो, अथवा जिसे हिन्दी के सेवाकालीन प्रशिक्षण से छूट मिली हुई हो, उसे प्रबोध परीक्षा पास करने पर, वैयक्तिक वेतन पाने का अधिकारी नहीं समझा जाएगा।

राजपत्रित कर्मचारियों को प्रबोध परीक्षा पास करने पर वैयक्तिक वेतन नहीं दिया जाएगा।

(4) हिन्दी टाइपिंग--हिन्दी टाइपिंग की परीक्षा पास करने वाले अराजपत्रित कर्मचारियों को वैयक्तिक वेतन दिया जाएगा। लेकिन जिस कर्मचारी ने पहले ही हिन्दी टाइपिंग की कोई भी परीक्षा पास कर ली है, अथवा जिसके लिए हिन्दी टाइपिंग का प्रशिक्षण अनिवार्य नहीं है, उसे हिन्दी टाइपिंग परीक्षा पास करने पर वैयक्तिक वेतन पाने का अधिकारी नहीं समझा जाएगा।

(5) हिन्दी आशुलिपि:--

(क) अराजपत्रित कर्मचारियों हिन्दी आशुलिपि की परीक्षा में पास अंक प्राप्त करने पर; और

(ख) राजपत्रित आशुलिपिकों को 90 प्रतिशत या अधिक अंक लेकर हिन्दी आशुलिपिक की परीक्षा पास करने पर वैयक्तिक वेतन दिया जाएगा।

लेकिन जिन कर्मचारी ने पहले ही आशुलिपि की परीक्षा पास की है अथवा जिसके लिए हिन्दी आशुलिपि का प्रशिक्षण अनिवार्य नहीं, है, उसे हिन्दी आशुलिपि की परीक्षा पास करने पर वैयक्तिक वेतन पाने का अधिकारी नहीं समझा जायेगा।

2. जिन आशुलिपिकों और स्टेनोटाइपिस्टों (राजपत्रित तथा अराजपत्रित, दोनों) की मातृ भाषा हिन्दी नहीं है, उन्हें हिन्दी आशुलिपि की परीक्षा पास करने पर दो वेतन वृद्धियों के बराबर वैयक्तिक वेतन दिए जाएंगे। ये वेतनवृद्धियां भावी वेतनवृद्धियों में मिलाई जाएंगी। ऐसे कर्मचारी पहले वर्ष दो वेतनवृद्धि के बराबर, और दूसरे वर्ष पहली वेतनवृद्धि के मिला दिये जाने पर, केवल एक वेतनवृद्धि के बराबर वैयक्तिक वेतन प्राप्त कर सकेंगे। राजपत्रित आशुलिपिकों के लिए अंकों की शर्त पैरा-1(5) (ख) के अनुसार ही होगी।

3. यदि किसी सरकारी कर्मचारी को हिन्दी, या हिन्दी टाईपिंग या हिन्दी आशुलिपि की परीक्षा पास करने पर मंजूर किये गये वैयक्तिक वेतन से वित्तीय हानि होती है, तो जिस तारीख से वह चाहे, उसे छोड़ सकता है। कोई कर्मचारी यदि चाहे तो बिना कोई कारण बताए हुए भी यह प्रोत्साहन, जिस तारीख से वह चाहे, छोड़ सकता है। दोनों ही अवस्थाओं में इसके लिए उसे अपने कार्यालय को लिखित रूप में सूचित करना होगा।

4. वैयक्तिक वेतन के लिए संबंधित कर्मचारी नीचे लिखी तारीखों में से कोई भी तारीख चुन सकता है :—

(i) जिस महीने में परीक्षाफल घोषित होता है, उसके अगले महीने की पहली तारीख से, अथवा

(ii) परीक्षाफल घोषित होने के बाद पड़ने वाली कर्मचारी की सामान्य वार्षिक वेतन-वृद्धि की तारीख से। (जिसका मतलब सामान्य वेतनवृद्धि के साथ एक अग्रिम वेतनवृद्धि है)

संबंधित कर्मचारी को इस संबंध में विकल्प, परीक्षाफल घोषित होने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर देना होगा। एकबार दिया गया विकल्प अंतिम माना जायेगा। यदि संबंधित कर्मचारी परीक्षाफल घोषित होने की तारीख को छुट्टी पर हो तो यह तीन महीने का समय उस तारीख से गिना जायेगा जिस तारीख से वह छुट्टी के बाद ड्यूटी पर आता है।

यदि कोई सरकारी कर्मचारी परीक्षा के परिणामों के घोषित होने की तारीख से तीन महीने की अवधि के अन्दर अपना विकल्प न दे तो यह माना जाएगा कि उक्त कर्मचारी को वैयक्तिक वेतन लेने में रुचि नहीं है। ऐसे कर्मचारी को कोई वैयक्तिक वेतन स्वीकृत नहीं किया जाएगा। विशेष परिस्थितियों में संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग विकल्प देने की तारीख बढ़ाने के लिए संबंधित कर्मचारियों के हर आवेदन पर उसके गुण-दोषों को ध्यान में रखते हुए स्वयं निर्णय लेंगे। इस बारे में इस विभाग को लिखने की आवश्यकता नहीं है।

5. इस वैयक्तिक वेतन के मंजूर किये जाने और अदायगी के बारे में अन्य शर्तें इस प्रकार होंगी :—

(i) वैयक्तिक वेतन उस नकद पुरस्कार और एकमुश्त पुरस्कार के अतिरिक्त होगा जिसके लिए कर्मचारी जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार पात्र है।

(ii) वैयक्तिक वेतन पाने के लिए संबंधित कर्मचारी को पाठ्यक्रम विशेष के समाप्त होने के बाद निर्धारित परीक्षा 15 महीने की अवधि के अन्दर ही पास करनी होगी। जो कर्मचारी बिना नियमित प्रशिक्षण के निजी रूप से परीक्षा देते हैं, उनके बारे में 15 महीने की अवधि पहली बार परीक्षा में शामिल होने की तारीख से गिनी जाएगी।

(iii) जो कर्मचारी, हिन्दी टाईपिंग या हिन्दी आशुलिपि की परीक्षाएं एक साथ अथवा एक के बाद एक, पास करते हैं, उन्हें प्रत्येक परीक्षा पास करने पर, अलग अलग वैयक्तिक वेतन दिया जाएगा। पहली परीक्षा के बाद मिलने वाले वैयक्तिक वेतन की अवधि पूरी होने पर दूसरी परीक्षा के संबंध में वैयक्तिक वेतन दिया जायेगा और यह भी पूरे 12 महीने के लिए होगा।

(iv) सरकारी कर्मचारी को उस पद का वैयक्तिक वेतन दिया जाएगा जिस पद पर वह परीक्षाफल घोषित होने की तारीख को था अथवा जिस तारीख के लिए उसने वैयक्तिक वेतन का विकल्प दिया है।

परन्तु अवर श्रेणी लिपिक, जो अपने हिन्दी टाईपिंग के प्रशिक्षण के दौरान, अथवा हिन्दी टाइपिंग की परीक्षा में बैठने के बाद और परीक्षा परिणाम निकलने से पहले, अथवा परीक्षाफल निकलने के बाद परन्तु वैयक्तिक वेतन लेना शुरू करने की तारीख से पहले, उच्च श्रेणी लिपिक के पद पर पदोन्नत हो जाते हैं, उन्हें हिन्दी, टाईपिंग परीक्षा पास करने पर मिलने वाला वैयक्तिक वेतन उसी दर पर और उसी अवधि के लिए देय होगा, जो उन्हें उच्च श्रेणी लिपिक के पद पर पदोन्नत न होने की स्थिति मिलता।

(v) जो कर्मचारी नीचे के पद पर वैयक्तिक वेतन पा रहा है, वह—

(क) एक अराजपत्रित पद से दूसरे अराजपत्रित पद पर पदोन्नत होने पर, बाकी बचे समय के लिए, उसी दर से और उसी अवधि के लिए वैयक्तिक वेतन पाता रहेगा जो उसे उच्च पद पर पदोन्नत न होने की स्थिति में मिलता।

(ख) अराजपत्रित पद से अराजपत्रित पद पर पदोन्नत होने पर, मिलने वाला वैयक्तिक वेतन कर्मचारी को उसी स्थिति में बाकी समय के लिए मिलेगा, यदि उसे वैयक्तिक वेतन राजपत्रित पर रहते हुए मिलता : परन्तु वैयक्तिक वेतन की दर और अवधि वही होगा, जो संबंधित अधिकारी के पदोन्नत न होने की स्थिति में रहती।

एक अवर श्रेणी लिपिक, जो हिन्दी टाईपिंग की परीक्षा पास करने पर वैयक्तिक वेतन प्राप्त कर रहा हो, वह उच्च श्रेणी लिपिक के पद पर पदोन्नत हो जाने पर भी, बाकी बचे समय के लिये, उसी दर और उसी अवधि के लिए वैयक्तिक वेतन पाता रहेगा जिस दर पर और जिस अवधि के लिए वह उच्च श्रेणी लिपिक के पद पर पदोन्नत न होने की स्थिति में पाता।

(vi) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित कर्मचारी के नीचे के पद पर प्रत्यावर्तित होने पर, वैयक्तिक वेतन उसे तब तक मिलेगा जब तक उसे अपने विकल्प के अनुसार पदोन्नत न होने की स्थिति में मिलता रहता।

(vii) किसी भी कर्मचारी के उच्च पद से निम्न पद पर प्रत्यावर्तित होने पर, उच्च पद में स्वीकृत हुआ वैयक्तिक वेतन उसी बाकी बची अवधि के लिए मिलता रहेगा, लेकिन इस अवधि में वैयक्तिक वेतन की दर निचले वाले पद की वेतनवृद्धि की दर के बराबर होगी तथा उसके वेतन और वैयक्तिक वेतन का योग उसके नीचे वाले पद के वेतनमान के अधिकतम से ज्यादा नहीं होगा।

(viii) यदि कोई कर्मचारी अपने ग्रेड के वेतन के अधिकतम पर पहुंच चुका है, तो उसे एक वेतनवृद्धि के बराबर की राशि का वैयक्तिक वेतन 12 मास की अवधि तक, अथवा जब तक वह कर्मचारी उच्च ग्रेड में पदोन्नत हो जाए तब तक दिया जाएगा।

इसी प्रकार, अपने वेतनमान में अधिनियम पर पहुंचे हुए अहिन्दी भाषी अंग्रेजी के आशुलिपिकों को, हिन्दी आशुलिपि की परीक्षा पास करने पर, वैयक्तिक वेतन पहले वर्ष में दो वेतनवृद्धियों की राशि के, और दूसरे वर्ष में, एक वेतनवृद्धि की राशि के बराबर दिया जाएगा, परन्तु उनकी अगले पद पर पदोन्नति हो जाने पर, उन्हें यह वैयक्तिक वेतन मिलना बन्द हो जाएगा।

6. इस कार्यालय ज्ञापन के साथ एक घोषणा पत्र का नमूना संलग्न है जो वैयक्तिक वेतन पाने वाले प्रत्येक कर्मचारी को भरना होगा। घोषणा पत्र में दिये गये विवरण के आधार पर कर्मचारी को वैयक्तिक वेतन की पात्रता के बारे में निर्णय लिया जायेगा।

7. वैयक्तिक वेतन संबंधित मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों द्वारा मंजूर किया जाएगा और इस लेखे पर जो खर्च होगा वह उन्हीं मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों द्वारा वहन किया जाएगा।

संघ राज्यों के कर्मचारियों के संबंध में वैयक्तिक वेतन की स्वीकृति संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा दी जाएगी और इस संबंध में हुआ व्यय संबंधित राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा वहन किया जाएगा।

स्वायत्त संगठनों, निगमों, निकायों, सरकारी उद्यमों आदि के कर्मचारियों के बारे में भारत सरकार के संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों और विभागों को चाहिए कि वे इन संगठनों, निकायों आदि को सुझाव दें कि वे वैयक्तिक वेतन की योजना इसी आधार पर चालू करें और पुरस्कार स्वयं स्वीकृत करें। इस संबंध में हुआ व्यय इन्हीं संगठनों और निकायों आदि द्वारा वहन किया जाएगा।

8. जहां तक भारतीय लेखा परीक्षा और अनुभाग के अधिकारियों का संबंध है, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक इन अनुदेशों के बारे में प्रशासनिक मंत्रालय की शक्तियों का प्रयोग करेंगे।

अनुलग्नक

हिन्दी शिक्षण योजना के अधीन प्रबोध/प्रवीण/प्राज्ञ/हिन्दी टाईपिंग, हिन्दी आशुलिपि परीक्षा और गहन हिन्दी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के बाद ली जाने वाली परीक्षा पास करने पर वैयक्तिक वेतन पाने के लिए विचारार्थ प्रपत्र

1. पूरा नाम (साफ अक्षरों में) . . .

2. पद . . . . . .

3. (क) राजपत्रित या अराजपत्रित
   (ख) श्रेणी
   (ग) क्या आपको प्रचालन कर्मचारी घोषित किया गया है ?

4. (क) कार्यालय का पूरा पता
   (ख) प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग का नाम

5. (क) क्या आप—
      (i) भारत सरकार के
      (ii) संघ शासित क्षेत्र/प्रशासन के
      (iii) भारत सरकार के नियंत्रणाधीन किसी निकाय आदि के कर्मचारी हैं ?
   (ख) क्या आप का कार्यालय औद्योगिक संस्थान घोषित किया गया है ?
   (ग) क्या आप कार्य प्रभारित कर्मचारी हैं ?

6. संबंधित महालेखापाल/लेखा अधिकारी जिनकी लेखा पुस्तकों में वेतन संकेतित किया जाता है ।

7. जन्म की तारीख

8. मातृभाषा

9. (क) निर्धारित पाठ्यक्रम जहां तक आपको पढ़ना आवश्यक है ?
   (ख) क्या आपके लिये हिन्दी टाइपिंग अथवा हिन्दी आशुलिपि का प्रशिक्षण अनिवार्य है ?

10. (क) उत्तीर्ण की गई परीक्षा का नाम जिसके लिए यह आवेदन दिया गया है :
   (ख) परीक्षा का वर्ष और महीना
   (ग) परीक्षा में आपका अनुक्रमांक
   (घ) परीक्षाफल घोषित होने की तारीख
   (ङ) प्राप्त अंक
   (च) प्राप्त अंकों का प्रतिशत

11. (क) उपर्युक्त परीक्षा कैसे पास की :—
      (i) निजी अध्ययन से
      (ii) हिन्दी शिक्षण योजना के अधीन कक्षा में पढ़कर
   (ख) हिन्दी शिक्षण योजना की कक्षाओं में इस पाठ्यक्रम का कब कब प्रशिक्षण लिया (यदि पहले भी कभी प्रशिक्षण लेना आरम्भ करके छोड़ दिया था तो उसका भी विवरण दें)

12. उपर्युक्त परीक्षा में क्या कभी पहले भी बैठे थे, यदि हां तो कब-कब और क्या परिणाम था ?

13. इस परीक्षा के अतिरिक्त क्या आप हिन्दी शिक्षण योजना की कोई अन्य परीक्षा पास कर चुके हैं, यदि हां तो उसका ब्यौरा दें । यदि आप कोई प्रोत्साहन भी पा चुके हैं तो उसके बारे में भी बताएं ।

36

14. (i) क्या आपने किसी बोर्ड/विश्वविद्यालय-गैर सरकारी निकाय आदि द्वारा संचालित मैट्रिक, इसके समकक्ष या उससे उच्च परीक्षा (किसी भी रूप में), हिन्दी विषय ले कर या उच्च माध्यमिक परीक्षा के भाग के रूप में (जैसे कक्षा 9 या 10 में) हिन्दी विषय लेकर पास की है, यदि हां तो इसका ब्योरा दें और संबंधित परीक्षा में हिन्दी विषय के प्राप्तांकों का प्रतिशत बतायें।

(ii) क्या आपकी उपरोक्त (किसी भी) परीक्षा का माध्यम हिन्दी था ? यदि हां, तो ब्यौरा दें।

(iii) क्या आपने हिन्दी विषय के साथ प्राइमरी अथवा मिडिल परीक्षा पास की है ?

(iv) क्या आपने सरकारी अथवा गैर-सरकारी किसी भी संस्था की कोई हिन्दी परीक्षा पास की है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा दें।

15. (क) क्या आपने केन्द्रीय सरकार की सेवा में आने से पहले यह बयान दिया था कि :

(i) आप हिन्दी टाईपिंग जानते हैं अर्थात हिन्दी टाईपिंग में आपकी गति 25 शब्द प्रति मिन्ट या इससे अधिक थी ?

(ii) आप हिन्दी की आशुलिपि जानते हैं अर्थात् हिन्दी आशुलिपि में आपकी गति 80 शब्द प्रति मिनट या इससे अधिक थी ?

(ख) क्या आपने पहले से ही सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त संस्था से हिन्दी टाईपिंग अथवा हिन्दी आशुलिपि का प्रशिक्षण लिया है और कोई परीक्षा पास की है ? यदि हां तो उसका ब्यौरा दें।

घोषणा

मेरी जानकारी और विश्वास के साथ दिया गया ब्यौरा सही है। यदि उपर्युक्त ब्यौरा गलत या अपयार्थ पाया जाय, तो मैं वैयक्तिक वेतन प्राप्त करने पर उसे लौटा देने का वचन देता हूं। मुझे यह भी मालूम है कि तथ्यों का अयथार्थ विवरण देकर वैयक्तिक वेतन प्राप्त करने का प्रयत्न करने के लिए मेरे विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है।

हस्ताक्षर.........................